2012–2013 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर टिप्पणी

भारत के संविधान के अनुच्छेद–205 के क्रम में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिये अनुच्छेद–202 के अनुसार विधान–मण्डल द्वारा स्वीकृत वार्षिक वित्त विवरण के अधीन अधिकृत व्यय से अधिक हुये व्यय या वर्ष के दौरान वांछित अधिक व्यय अथवा नई मदों हेतु विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक माँग प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुपूरक मांगों की उस समय भी आवश्यकता होती है, जबकि सम्बन्धित व्यय के लिये धन उपलब्ध हो, पर आवश्यकता नई मदों के लिये हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान–मण्डल के सामने स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो। इसके लिए अतिरिक्त ऐसी मांगें जो कि ''प्रतीक मांग'' कहलाती हैं प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2– वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगो में वास्तविक और प्रतीक दोनों ही सम्मिलित की गयी हैं। अनुदानवार विवरण के साथ–साथ लेखाशीर्षक के विवरण तथा तत्सम्बन्धी धनराशि दर्शाने के बाद, संक्षिप्त टिप्पणी में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अनुदान में अतिरिक्त प्राविधान, नई मदें अथवा राज्य आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति शामिल है।

3– वर्तमान अनुपूरक मांग प्रस्तुत करना इसलिये भी आवश्यक है कि मूल वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के बाद अनेक केन्द्र पोषित योजनाओं तथा तद्विषयक धनराशि का समावेश, बचनबद्ध मदों में वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धनराशि कम पड़ने की सम्भावना, ''राज्य आकस्मिकता निधि'' से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति, नई मदों पर व्यय जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में कोई व्यवस्था सम्मिलित नहीं की गई थी तथा उस पर विधान–मण्डल की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्रस्तुत अनुपूरक मांग का विवरण इस प्रकार है :–

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	व्यय का स्वरूप	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–	राजस्व लेखा	3899172	5321903	9221075
2	पूँजी लेखा	15384696	45390	15430086
	योग	**19283868**	**5367293**	**24651161**

.....

तद्नुसार
दिसम्बर, 2012

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त